

बनाम

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0**

**पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)**

मुकदमा नम्बर

156/2020

तारीख दायर

11-09-2020

तारीख फैसला

25/04/2022

**उनवान**

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोडद्व आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

-----:: वादी

**बनाम**

01. बग्गासिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर  
02. वेभव पुत्र स्व0 श्रीमती गीता  
03. भूमिका पुत्री स्व0 श्रीमती गीता नाबालिगान जरिये वलीसरपरस्त पिता श्री संजय  
04. सीता पत्नी श्री राजीव गोयल जाति महाजन निवासीगण ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर  
05. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुकमइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**--: निर्णय :-**

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुकमइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 3/10 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं। हर इंच पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई



उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

प्रतिवादी संख्या 5 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया।  
द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद को  
प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 08-01-2021 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर  
नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई।  
चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/5035 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण  
में कुरे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुरे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन  
किया। कुरे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 138 रकवा 0.06  
है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के  
आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ.वि.व. जरिये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली	138	0.018	बारानी 2	0.072
02.	गीता पत्नी संजय हि0 3/14 महाजन सा. टपूकडा खातेदार बग्गासिंह पुत्र ज्ञानसिंह हि0 8/14 रायसिख सा. देह खातेदार सीता पत्नी राजीव गोयल हि0 3/14 महाजन सा. टपूकडा खातेदार	138/1	0.042	बारानी 2	0.168

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे।  
पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

*(Handwritten Signature)*

(महेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर०ए०एस०)

मुकदमा नम्बर

156/2020

तारीख दायर

11-09-2020

तारीख फैसला

उनवान

1. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

—:: वादी

बनाम

01. बग्गासिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर  
02. वेभव पुत्र स्व० श्रीमती गीता  
03. भूमिका पुत्री स्व० श्रीमती गीता नाबालिगान जरिये वलीसरपरस्त पिता श्री संजय  
04. सीता पत्नी श्री राजीव गोयल जाति महाजन निवासीगण ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर  
05. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज०)

—:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुकमइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: पर्चा डिक्री ::—

हाल आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.06 है० वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ.वि.व. जरिये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली	138	0.018	बारानी 2	0.072
02.	गीता पत्नी संजय हि० 3/14 महाजन सा. टपूकडा खातेदार बग्गासिंह पुत्र ज्ञानसिंह हि० 8/14 रायसिख सा. देह खातेदार सीता पत्नी राजीव गोयल हि० 3/14 महाजन सा. टपूकडा खातेदार	138/1	0.042	बारानी 2	0.168

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी,  
तिजारा (अलवर)  
तिजारा (अलवर)